106

संख्या– ✓ /XVIII(1)/2011-3(51)/2009

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 09 सितम्बर, 2011

विषयः– राजस्व विभाग के लेखपालों के स्टेशनरी भत्तों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1296/मु0रा0आ0/2011 दिनांक 30 मार्च, 2011 के क्रम में शासन के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग में मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत लेखपालो को शासनादेश संख्या–255/18(1)/2005 दिनांक 29 अप्रैल, 2005 द्वारा अनुमन्य स्टेशनरी भत्ता ₹ 15 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹ 100 प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– यह स्टेशनरी भत्ते की यह पुनरीक्षित दरे तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी। अतः पुनरीक्षित भत्ता पर्वतीय क्षेत्रों में लेखपाल के समान भू–राजस्व कार्य संपादित करने वाले पर्वतीय पटवारियों (परिवर्तित पदनाम राजस्व उप निरीक्षक) को भी अनुमन्य होंगे।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक– 2029–भू–राजस्व–00–आयोजनेत्तर–103–भू–अभिलेख–03–जिला अधिष्ठान–00 के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या–56/XVII(7)/2011 दिनांक 07 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या–4770/XVIII(1)/2011 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सचिवालय, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।

2–

GO (2).doc